Dabur India Ltd.

Ref: SEC/SE/2025-26
Date: January 30, 2026

To,

Corporate Relations Department **BSE Ltd.** Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai- 400001	Listing Department **National Stock Exchange of India Ltd.** Exchange Plaza, 5th Floor Plot No. C/1, G Block Bandra – Kurla Complex Bandra (E), Mumbai – 400051
BSE Scrip Code: 500096	NSE Scrip Symbol: DABUR

Sub: Newspaper Publication of Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2025

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to the provisions of Regulation 30, 47 and 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, we are pleased to enclose copies of the newspaper publication in all editions of Mint (English newspaper), all editions of The Aaj (Hindi newspaper) and Shah Times (Hindi newspaper) dated January 30, 2026 which *inter-alia* contain Quick Response Code and the details of the webpage where complete financial results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2025 are accessible to the Investors.

The afore-mentioned results were approved by the Board of Directors of the Company in its meeting held on January 29, 2026.

This is for your information and records.

Thanking you,
Yours faithfully
For **Dabur India Limited**

Ashok Kumar Jain
Digitally signed by Ashok Kumar Jain
Date: 2026.01.30 13:04:21 +05'30'

(Ashok Kumar Jain)
Group Company Secretary and Chief Compliance Officer

Encl: as above

InvAscent ups pharma bets with larger deals

The PE firm is participating in $80-100 mn deals, up from $30-50 mn

Priyamvada C
priyamvada.c@livemint.com
MUMBAI

Private equity firm InvAscent is writing significantly larger cheques in pharma—its core focus—as rising regulatory and manufacturing costs have pushed companies to raise more capital.

"Our ticket sizes in pharma have increased. We now participate in $80-100 million deals along with our LPs (limited partners), where we roughly do a 50-50 split. Earlier, we engaged only in $30-50 million transactions," founder and chairman Hari Buggana told *Mint*.

"It costs a lot more today to build a new facility to comply with the regulations, so companies naturally need to raise a lot more money," he added. The firm is also widening its investment lens to sub-segments such as health-tech.

This comes on the back of rising investor interest in the pharma and healthcare sectors, driven by higher income, spends, expanding healthcare coverage and growing medical tourism, creating new pockets of demand for innovation and growth from tier II and III cities.

The Hyderabad-based private equity firm is focused on three major industries—pharmaceuticals that takes about 50% of the fund, followed by healthcare (about 30%) and other related industries such as med-tech, health-tech and animal health that together constitute about 20% of the fund.

The commentary follows less than a year after the investment firm closed its fourth fund with a corpus of $304 million. By the time Fund IV is fully invested, it will likely close at $400 million with co-investments from limited partners, he said, adding that the firm has already deployed 40% of the capital from the current fund.

Its investments from the fourth fund include Apex Hospitals, ABI Health, Fleming Laboratories, Geri Care, SRV Hospitals and Maiva Pharma. The fourth fund saw a third of the capital commitments come from domestic investors, marking a first for the investment firm. The remaining capital came from international LPs.

"Historically, we have always had LPs from America, Europe and Asia who have been keen to invest in the emerging market. But this time, we saw a lot of inbound enquiries from domestic investors who wanted access to good quality pharma and healthcare assets through our fund," Buggana said, adding that its past funds have beaten all Indian equity benchmarks.

As its themes evolved and ticket sizes grew, InvAscent's fund sizes also increased—from $100 million (2007) to $150 million (2014), and around $300 million in 2018, including co-investments. InvAscent is seeing public markets as a prominent exit route led by attractive valuations as many of its portfolio companies achieve sustainable scale. "In the past, we had several exits via sale to larger private equity firms or strategics and in some cases, the promoters decided to buy back the fund's stake," he said.

Its exits include Oliva Skin & Hair Clinic and Oasis Fertility to Kedaara Capital, and the sale of its stake in Comprehensive Prosthetics and Orthotics to NorthCreek and Parkway Partners.

The investment firm assists promoters in three areas—capital allocation, getting the organization to a bigger scale and profitability, and employee safety and governance.

For an extended version of this story, go to livemint.com.

Rising compliance costs are pushing pharma companies to raise more capital. MINT

BIGGER CHEQUES

PHARMA remains InvAscent's largest bet, accounting for about 50% of its fund portfolio

HEALTHCARE forms 30% of the fund; animal health, med-tech & health-tech account for 20%

FUND IV closed at $304 million, targets $400 million; it has already deployed 40% of its capital

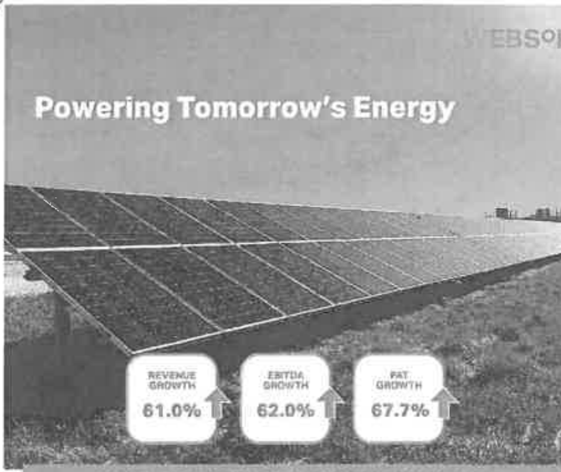

WEBSOL ENERGY SYSTEM LIMITED

Sr. No.	Particulars	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	Total income from operations	261.02	168.22	147.31	647.98	402.47	575.45
2	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional items)	86.11	59.85	48.12	238.84	128.57	194.47
3	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional items)	84.00	59.86	49.12	234.83	128.57	194.47
4	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional items)	64.86	46.32	41.56	178.50	106.46	154.74
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit and other Comprehensive Income for the period]	65.23	48.24	41.50	178.58	106.27	154.41
6	Paid up Equity Share Capital (Face value Rs. 10/-)	42.21	42.21	42.21	42.21	42.21	42.21
7	Other Equity	-	-	-	-	-	235.84
8	Earning per Share (face value Rs. 10/- per share) (not annualised except for the year ended 31st March, 2025)						
	(i) Basic (Rs.)	1.54	1.10	0.99	4.23	2.52	3.67
	(ii) Diluted (Rs.)	1.52	1.08	0.97	4.18	2.49	3.62

www.websolenergy.com info@websolenergy.com 033 4009 2100 +91 98369 65666

DABUR INDIA LIMITED

Regd. Office: 8/3, Asaf Ali Road, New Delhi - 110 002
CIN - L24230DL1975PLC007908
Tel. No.: 011-23253488, Fax No.: 011-23222051
Website: www.dabur.com | E-mail: corpcomm@dabur.com

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2025

The consolidated and standalone unaudited financial results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2025, approved by the Board of Directors in their meeting held on January 29, 2026, along with the Auditors' Limited Review Reports thereon (expressing an unmodified opinion), as filed with the Stock Exchanges under Regulations 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com & www.nseindia.com), the Company's webpage (www.dabur.com/investor/financial-information/results) and can also be accessed by scanning the following Quick Response Code.

For and on behalf of the Board of Directors

Mohit Burman
Chairman
DIN: 00021963

Place: New Delhi
Date: January 29, 2026

GUJARAT ENERGY TRANSMISSION CORPORATION LIMITED

GETCO
Registered & Corporate Office, Sardar Patel Vidyut Bhavan, Racecourse, VADODARA – 390 007
www.getcogujarat.com & https:www.nprocure.com

TENDER NOTICE NO. ACE (P&C) : Tender No-22: 2025-2026

[A] PROCUREMENT: E-3087:- Purchase of MS Rail 60 Kg/ Mtrs. - 13 Mts. as per latest specifications & Schedule-A, on firm price for year 2026-27 against Tender No. ACE (P&C)/ SE (P&C)/ EE (P)/ II/ E-3087/ MS Rail/ 2026-27/ Project & RM phase-I & II.

B] CIVIL: ACE (P&C)/ CONTRACTS/ CIVIL – 588 - A, 590, 591:- (1) Extension of CR Building (2 Span), Renovation & Painting of Old CR Bldg., RCC Road, Chlf etc. Misc. civil works and Electrification Work of CR Extn. at 66 kV LILESARA SS under Godhra Division under Jambuva Circle., (2) Construction of various foundations for 220/132 kV TR Bay, RCC road, Control room extension, office building and misc. civil work at 220 kV Gondal SS Under Gondal AM Division under Gondal AM Circle., (3) Construction of Control Room Building, Foundations, Cable Trench, Compound Wall, Staff Quarter, RCC Road & misc. civil works at 66 kV Navagam S/s, Ta. – Kevadiya & District Narmada under Bharuch Circle.

[C] LINE: ACE (P&C)/CONTRACTS/ E-415/ TL/ 66 kV/ S&E:- Replacement of Dog conductor, earth wire and its hardware of 66 kV D/C Chhaya – Odadar Line No. 1 & 2 (Wind Farm of M/s Suzlon) hotline condition under deposit scheme (Option-1) under Jamnagar TR Circle under EPC.

[D] SUBSTATION: ACE (P&C)/CONTRACTS/ E-394, 412:- (1) Supply, Erection, Testing, and Commissioning of 220 kV & 66 kV Equipment and Materials on Turnkey Basis, including Civil Works, for 220 kV Rangpar AIS Substation., (2) Supply, Erection, Testing, and commissioning of 220 kV & 66 kV Equipment's & materials on Turnkey basis including civil works for 220 kV Mahudha AIS Substation.

Above Tenders are available on website **www.getcogujarat.com** (for viewing and download only) and **tender.nprocure.com** (For view, download and online tender submissions).

Note: Bidders are requested to be in touch with our website till opening of these tenders.

Date: 30/01/2026 — I/c. Additional Chief Engineer (Procurement & Contracts)

Partnering the Journey to
Viksit Bharat with
Innovative Financing!

REC

Extract of Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the Three Months and Nine Months ended 31-12-2025

(₹ in Crores)

Sl. No.	Particulars	Standalone: Three Months Ended 31-12-2025	30-09-2025	31-12-2024	Nine Months Ended 31-12-2025	31-12-2024	Year ended 31-03-2025	Consolidated: Three Months Ended 31-12-2025	30-09-2025	31-12-2024	Nine Months Ended 31-12-2025	31-12-2024	Year ended 31-03-2025
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Total Income from Operations	14,910.68	15,064.13	14,157.19	44,641.43	40,751.86	55,911.12	15,017.70	15,152.67	14,271.82	44,907.82	41,033.01	56,366.55
2.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	5,116.40	5,552.80	5,109.67	16,318.10	14,475.11	19,859.78	5,154.71	5,548.84	5,180.97	16,370.06	14,627.58	20,117.47
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	5,116.40	5,552.80	5,109.67	16,318.10	14,475.11	19,859.78	5,136.43	5,548.94	5,180.97	16,351.78	14,627.58	20,117.47
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	4,043.06	4,425.86	4,029.09	12,919.96	11,477.01	15,713.21	4,052.44	4,414.93	4,076.35	12,933.08	11,574.25	15,884.23
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	4,719.20	5,094.38	4,731.76	11,800.44	11,010.35	14,195.41	4,728.56	5,083.45	4,779.02	11,813.56	11,107.59	14,367.43
6.	Paid up Equity Share Capital (Face Value ₹10 per share)	2,633.22	2,633.22	2,633.22	2,633.22	2,633.22	2,633.22	2,633.22	2,633.22	2,633.22	2,633.22	2,633.22	2,633.22
7.	Other Equity	83,629.26	80,105.68	73,868.45	83,629.26	73,868.45	75,004.75	84,380.47	80,847.53	74,532.76	84,380.47	74,532.76	75,742.84
8.	Securities Premium Account	1,577.53	1,577.53	1,577.53	1,577.53	1,577.53	1,577.53	-	-	-	-	-	-
9.	Net Worth	86,262.48	82,738.90	76,501.67	86,262.48	76,501.67	77,637.97	-	-	-	-	-	-
10.	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	4,98,828.28	5,07,466.74	4,89,595.07	4,98,828.28	4,89,595.07	4,88,258.52	-	-	-	-	-	-
11.	Debt Equity Ratio *	5.78	6.07	6.38	5.78	6.38	6.28	-	-	-	-	-	-
12.	Earnings per Share (of ₹10 each) (for continuing and discontinued operations) (in ₹)												
(i)	Basic	15.35	16.81	15.30	49.07	43.59	59.55	15.39	16.77	15.48	49.12	43.95	60.20
(ii)	Diluted	15.35	16.81	15.30	49.07	43.59	59.55	15.39	16.77	15.48	49.12	43.95	60.20

*Debt/Equity Ratio = Net Debt / Net Worth (Net debt represents principal outstanding less cash and cash equivalents available.)

Notes:

1. The above financial results of the Company were reviewed by the Audit Committee and approved and taken on record by the Board of Directors at their respective meetings held on January 29, 2026. These results have been limited reviewed by the Joint Statutory Auditors of the Company.
2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 & 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results is available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also on the Company's website (www.recindia.nic.in).
3. For other applicable disclosure as required under regulation 52(4) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, refer detailed format of the financial results filed with the Stock Exchange (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and can also be accessed on the Company's website (www.recindia.nic.in).

RECORD DATE

The Board of Directors at its meeting held on January 29, 2026, declared 3rd interim dividend @ 46% (i.e. ₹4.60/- per equity share of face value of ₹10/- each) for the financial year 2025-26 and fixed Friday, February 6, 2026 as the 'Record Date' for reckoning eligibility of shareholders for the purpose of payment of said interim dividend.

The aforesaid dividend(s) would be paid to all the eligible shareholders within 30 days from the date of declaration.

For REC Limited
(Jitendra Srivastava)
Chairman & Managing Director
DIN - 06817799

Place: Delhi
Date: January 29, 2026

REC Limited

संक्षिप्त समाचार

महाराष्ट्र के दिवंगत उप मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि दी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए शोक प्रस्ताव पारित किया गया। मंत्रिमंडल ने विगत 28 जनवरी को बारामती, महाराष्ट्र में हुई विमान दुर्घटना में अजित पवार व अन्य लोगों के निधन को अत्यंत दु:खद बताया। कैबिनेट ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत पुण्यात्माओं की शांति की कामना की। कैबिनेट ने कहा कि अजित पवार का असामयिक निधन अपूरणीय क्षति है। स्वर्गीय अजित पवार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मंत्रिमंडल ने कहा कि अपने दीर्घ सार्वजनिक जीवन में उन्होंने महाराष्ट्र की जनता से गहरा जुड़ाव रखते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए कार्य किया।

आगरा: मुठभेड़ में बदमाश अरबाज ढेर

आगरा। राज चौहान हत्याकांड के हत्यारोपियों से पुलिस की बुधवार रात तीन मुठभेड़ हुईं, इसमें मुख्य आरोपी अरबाज उर्फ मंसूरी ढेर हो गया। उस पर 25 हजार रुपए का इनाम था। उसके दो साथी आशु और मोहित घायल हो गए हैं।

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि ट्रांसयमुना पुलिस ने गुरुवार सुबह मुखबिर की सूचना पर राज हत्याकांड के मुख्य आरोपी अरबाज उर्फ मंसूरी को पकड़ने गई थी। इस बीच अरबाज ने दरोगा की पिस्टल छीनकर फायरिंग शुरू कर दी। अरबाज की फायरिंग में सिपाही मनोज कुमार और एसआई ऋषि घायल हो गए। पुलिस टीम में शामिल ट्रांस यमुना थानाध्यक्ष हरेंद्र कुमार और कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक भानु प्रताप की जैकेट पर एक-एक गोली लगी।

लखनऊ से सटे ऐतिहासिक दरगाहों से जुड़ी हालिया कार्रवाई पर गहरी चिंता जताई

मजारों पर कार्रवाई से बाज आए केजीएमयू

शाह टाइम्स ब्यूरो

■ जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी ने जारी ध्वस्तीकरण नोटिसों को धार्मिक एवं संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया

लखनऊ। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज (केजीएमयू), लखनऊ से सटे ऐतिहासिक दरगाहों से जुड़ी हालिया कार्रवाई पर गहरी चिंता जताई है।

उन्होंने हजरत हाजी हरमैन शाह के आस्ताने में की गई तोड़फोड़ तथा हजरत मखदूम शाह मीनाज परिसर में स्थित पांच सौ वर्ष से अधिक पुराने मजारों के विरुद्ध जारी ध्वस्तीकरण नोटिसों को धार्मिक एवं संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। एक दिन पूर्व जमीयत उलेमा-ए-हिंद के सोशल मीडिया पेज पर शेयर करते हुए मौलाना मदनी ने कॉलेज प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि वह भ्रामक प्रचार के सहारे वक्फ संपत्तियों से जुड़े कानूनों का उल्लंघन न करे और जारी नोटिस तत्काल वापस ले। उन्होंने स्पष्ट किया कि केजीएमयू से सटे ये मजार लगभग सात सौ वर्ष पुराने हैं, जबकि कॉलेज की स्थापना 1912 में हुई थी। उन्होंने कहा कि यह दावा करना कि दरगाहें कॉलेज परिसर में अवैध रूप से मौजूद हैं, सरासर भ्रामक है। स्थापना के समय ही राजस्व विभाग द्वारा दरगाह की भूमि का अलग सीमांकन कर दिया गया था। दरअसल बीते दिनों परिसर में स्थापित मजारों को लेकर केजीएमयू प्रशासन ने नोटिस जारी कर उन्हें हटाने का निर्देश जारी किया था। मौलाना मदनी का बयान उसी प्रतिक्रिया का हिस्सा है। जमीयत अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि 26 अप्रैल 2025 को हजरत हाजी हरमैन शाह के आस्ताने में वुज़ूखाना, इबादतगाह तथा जायरीनों की सुविधाओं को बिना किसी न्यायालयी आदेश या वैधानिक अनुमति के ध्वस्त किया गया, जो पूरी तरह गैर-कानूनी है। उन्होंने कहा कि संबंधित भूमि वक्फ अधिनियम 1995 के तहत विधिवत वक्फ संपत्ति है और सुन्नी वक्फ बोर्ड में पंजीकृत है। कानून के अनुसार वक्फ संपत्तियों से जुड़े किसी भी विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार केवल सक्षम न्यायालय को है, न कि किसी शैक्षणिक संस्था या उसके अधिकारियों को। मौलाना मदनी ने वक्फ बोर्ड से भी सक्रिय भूमिका निभाने की मांग करते हुए कहा कि प्राचीन मजारों और धार्मिक स्थलों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया जाए, जिन हिस्सों को ध्वस्त किया गया है, उनकी पुनर्बहाली कराई जाए तथा मुतवल्लियों को आवश्यक कानूनी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुन.रावृत्ति रोकी जा सके।

इटावा: फिशर वन में बनी अवैध मजार पर चलेगा बुलडोजर

इटावा। उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के फिशर वन क्षेत्र में बनी एक पुरानी मजार को अवैध निर्माण मानते हुए वन विभाग ने उसके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिला वन अधिकारी विकास नायक ने गुरुवार को बताया कि फिशर वन में बिना अनुमति निर्मित मजार को हटाने के संबंध में संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया है, लेकिन अब तक भूमि से जुड़े कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। ऐसे में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण किया जाएगा। यह मजार स्थानीय लोगों में बीहड़ वाले सैयद बाबा के नाम से जानी जाती है। वन विभाग के अनुसार यह संरचना संरक्षित वन भूमि पर बनी हुई है, जहां किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित है। बिना अनुमति यहां प्रतिवर्ष उर्स का आयोजन किया जाता है और हर गुरुवार को बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं।

न्यूनतम वेतन को मौलिक अधिकार बनाने की याचिका खारिज

नई दिल्ली, वार्ता

■ घरेलू कामगारों के लिए सुनवाई करने से शीर्ष अदालत का इन्कार

शीर्ष अदालत ने न्यूनतम वेतन को मौलिक अधिकार बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से गुरुवार को यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन तय करने और लागू करने से जुड़े मुद्दे नीतिगत हैं, इसलिए बेहतर होगा कि इन्हें राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाए।

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने चिंता जताई कि अदालत के आदेशों से न्यूनतम वेतन को अनिवार्य करने के अनजाने परिणाम हो सकते हैं और इससे घरेलू कामगारों को नुकसान भी हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने चेतावनी दी कि इस तरह के कदम से बड़े पैमाने पर मुकदमेबाजी शुरू हो सकती है, जिसमें ट्रेड यूनियनें अलग-अलग घरों को अदालत में घसीट सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप लोग घरेलू कामगारों को काम पर रखने से ही इन्कार करने लगेंगे। सीजेआई ने मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हर घर मुकदमेबाजी में फंस जाएगा। एक बार न्यूनतम वेतन तय हो जाने के बाद लोग काम पर रखना बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि अधिक सक्रिय ट्रेड यूनियनों के कारण घरेलू कामगार बड़े पैमाने पर बेरोजगार हो सकते हैं। पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता और निष्पक्षता के आधार पर रोजगार से जुड़े तर्क आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन वास्तविक दुनिया में इसका असर उल्टा हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कृपया इसके परिणामों का आकलन करें। ट्रेड यूनियनें इन लोगों को छोड़ देंगी और उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। उन्होंने रोजगार एजेंसियों के बारे में चिंता जताते हुए कहा कि वेतन का एक बड़ा हिस्सा बिचौलिए हड़प सकते हैं। उन्होंने शीर्ष अदालत के एक उदाहरण का हवाला देते हुए कहा कि अदालत ने एजेंसियों को प्रति कर्मचारी 40,000 रुपये का भुगतान किया, लेकिन कर्मचारियों को केवल लगभग 19,000 रुपये ही मिले। सीजेआई ने कहा कि इस तरह से विश्वास टूटता है। एजेंसियां इन लोगों का शोषण करती हैं। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि यह कहना गलत होगा कि घरेलू कामगारों को बिलकुल भी कोई सुरक्षा नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि एक सुरक्षा कवच है। असंगठित श्रमिक सामाजिक कल्याण अधिनियम कल्याणकारी उपायों का ध्यान रखता है। जब आर्थिक नीति की बात आती है, तो अदालतें बहुत सावधान रहती हैं। पीठ ने कहा कि मांगी गई राहत देने के लिए विधाई बदलावों की आवश्यकता होगी, जिसका निर्देश अदालत नहीं दे सकती। अपने आदेश में अदालत ने कहा कि जब तक संसद या राज्य विधानमंडल कोई उपयुक्त कानून नहीं बनाते, तब तक कोई लागू करने योग्य निर्देश पारित नहीं किया जा सकता। उसने ऐसे निर्देश जारी करने से इन्कार कर दिया और याचिका खारिज कर दी। अदालत ने यद्यपि राज्य सरकारों से उठाई गई शिकायतों की जांच करने और घरेलू कामगारों के शोषण को रो.कने के लिए उपयुक्त तंत्र पर विचार करने का अनुरोध किया।

अयोध्या में दीवार फांदकर भागे दो कैदी, 10 अफसर सस्पेंड

■ मफलर-कंबल से रस्सी बनाकर तीस ईंटें उखाड़ी

अयोध्या। जिला जेल से दो कैदियों के रफूचक्कर होने की सूचना मिलते ही जेल प्रशासन के बीच हड़कंप मच गया। फरार कैदियों की पहचान गोलू अग्रहरि उर्फ सूरज और शेर अली उर्फ रफीक अली के रूप में हुई है।

दोनों हत्या और रेप के मामले में जेल में बंद थे। इसके लिए उन्होंने जेल के पीछे की दीवार से तकरीबन 30 ईंटें उखाड़ी, फिर कंबल और मफलर से रस्सी बनाई और 20 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गए। इस मामले में दस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। कैदियों ने जेल की दीवार से ईंट उखाड़ने का काम रात में किया, लेकिन किसी को इसकी जानकारी नहीं हो पाई। कैदियों के फरार होने की सूचना मिलते ही जेल प्रशासन के बीच हड़कंप मच गया। कैदी गोलू अमेठी का रहने वाला है, वहीं रफीक सुल्तानपुर का है। अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए डीजी जेल पीसी मीणा ने वरिष्ठ जेल अधीक्षक समेत दस लोगों को सस्पेंड कर दिया है। इसमें जेल के वरिष्ठ अधीक्षक यूपी मिश्रा, जेलर जेके यादव, डिप्टी जेलर मयंक त्रिपाठी, एक हेड वार्डर और तीन वार्डर शामिल हैं। फिलहाल मामले के विभागीय जांच का आदेश दे दिया गया है।

सपा नेता बरी, राजू को 20 साल की जेल

अयोध्या, वार्ता

■ अयोध्या: भदरसा गैंगरेप मामले में अदालत का फैसला

अयोध्या के बहुचर्चित मदरसा दुष्कर्म कांड में पॉक्सो कोर्ट ने गुरुवार को सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी राजू खान को 20 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इससे एक दिन पहले कोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान को मामले में बरी कर दिया था।

अयोध्या के पॉक्सो प्रथम कोर्ट ने यह मदरसा गैंगरेप मामले में यह फैसला सुनाया है। इस मामले में 29 जुलाई 2024 को थाना पूराकलंदर में गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ था। सपा नेता मोईद खान और उसके नौकर राजू खान पर आरोप लगा था। दोनों की डीएनए जांच कराई गई थी, जिसमें मोईद खान का रिपोर्ट निगेटिव और राजू खान कीपॉजिटिव आई थी। मदरसा में एक 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर गैंगरेप हुआ था।

पीड़िता के परिजनों ने सपा नेता और भदरसा नगर के अध्यक्ष मोईद खान, उनके यहां काम करने वाले राजू खान पर आरोप लगाया था। आरोप था कि नाबा.लिग को बेकरी में बुलाकर रेप किया, फिर वीडियो बनाया और ब्लैकमेल कर महीनों तक बार-बार दुष्कर्म किया। इस बीच जब लड़की दो महीने की गर्भवती हो गई, तब जुलाई 2024 में मामला सामने आया। 30 जुलाई 2024 को पुलिस ने मोईद खान और राजू खान को गिरफ्तार किया था, तब से दोनों जेल में बंद हैं। पुलिस ने मोईद खान की बेकरी सील कर अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलाया था। साथ ही पॉक्सो एक्ट, ब्लैकमेलिंग समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया था। अयोध्या के पॉक्सो प्रथम कोर्ट ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए मोईद खान को निर्दोष बरी कर दिया, डीएनए जांच में उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी, जबकि राजू खान का डीएनए पॉजिटिव आया, उसे दोषी ठहराया गया था। आज कोर्ट ने सभी तथ्यों और गवाहों को सुनने के बाद राजू खान को 20 साल की जेल और 50 हजार जुर्माना लगाया है।

सेंसेक्स 82266.37
निफ्टी 25418.90

सोना रु. 176121
प्रति 10 ग्राम (24 कैरेट)

अर्थ व्यापार

चांदी रु. 385933
प्रति किलो

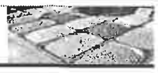

शुरूआती गिरावट से उबरे शेयर बाजार निजी बैंक और धातु कंपनियों में तेजी

मुंबई, वार्ता

घरेलू शेयर बाजारों में गुरुवार को 982 अंक का बड़ा उतार-चढ़ाव देखा गया और शुरूआती गिरावट से उबरकर प्रमुख सूचकांक अंतत: हरे निशान में बंद हुए। बीएसई का सेंसेक्स 221.69 अंक (0.27 प्रतिशत) चढ़कर 82,566.37 अंक पर पहुंच गया।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 76.15 अंक यानी 0.30 प्रतिशत की बढ़त में 25,418.90 अंक पर रहा। सेंसेक्स 24 अंक की बढ़त के साथ खुला और खुलते ही लाल निशान में चला गया। हालांकि संसद में वित्त वर्ष 20225-26 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने के बाद बाजार में तेजी लौट आई। एक समय यह 637 अंक टूटकर नीचे 81,707.94 अंक तक उतर गया था। बाद में 82,689.96 अंक तक चढ़ा भी। मझौली और छोटी कंपनियों में भी तेजी रही। निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक और स्मॉलकैप 100 सूचकांकों में 0.20 प्रतिशत की समान मजबूती दर्ज की गई। धातु, निजी बैंकिंग, रियलटी और तेल एवं गैस क्षेत्रों की कंपनियों में लिवाली का जोर रहा। वहीं एफएमसीजी, आईटी, ऑटो, फार्मा, सार्वजनिक बैंकों, स्वास्थ्य, टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद और रसायन समूहों की कंपनियों में बिकवाली हावी रही। सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा स्टील का शेयर लगभग साढ़े चार प्रतिशत चढ़ गया। एलएंडटी और एक्सिस बैंक में साढ़े तीन प्रतिशत के करीब तेजी रही। इटरनल का शेयर भी तीन फीसदी के ज्यादा चढ़ा। एनटीपीसी और अडानी पोर्ट्स के शेयर दो से तीन प्रतिशत के बीच मजबूत हुए। आईसीआईसीआई बैंक में एक प्रतिशत से अधिक की तेजी रही।

पावरग्रिड, भारती एयरटेल और एचडीएफसी बैंक के शेयर भी हरे निशान में बंद हुए। एशियन पेंट्स में पौने चार प्रतिशत की गिरावट रही। इंडिगो और मारुति सुजुकी के शेयर ढाई-ढाई प्रतिशत गिरे। बीईएल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीसीएस, सनफार्मा, हिंदुस्तान यूनीलिवर और ट्रेंट के शेयर एक से दो प्रतिशत तक टूटे। टाइटन, आईटीसी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इंफोसिस, अल्ट्राटेक सीमेंट और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर भी लाल निशान में बंद हुए।

सोना एक 1.76 लाख पहुंचा: चांदी तीन दिन में 68,228 महंगी

नई दिल्ली। चांदी-सोने के दाम लगातार चौथे दिन अपने सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के अनुसार गुरुवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 11,486 रुपए बढ़कर 1,76,121 रुपए पर पहुंच गया है। तीन दिन में सोना 21,811 महंगा हुआ है। इससे पहले सोने का भाव 23 जनवरी को 1,54,310 रुपए/10 ग्राम था। एक किलो चांदी की कीमत 27,666 रुपए बढ़कर 3,85,933 रुपए किलो पर पहुंच गई है। तीन दिन में चांदी की कीमत 68,228 रुपए महंगी हुई है। इससे पहले शुक्रवार को इसकी कीमत 3,17,705 रुपए किलो थी। 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,33,195 रुपए का था, जो अब 1,76,121 रुपए हो गया है। वहीं चांदी 1,55,513 रुपए महंगी हो गई है। 31 दिसंबर 2025 को एक किलो चांदी की कीमत 2,30,420 रुपए थी, जो अब 3,85,933 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की जिद और इस मुद्दे पर यूरोपीय देशों को टैरिफ की धमकी ने वैश्विक बाजारों बाजारों अस्थिरता बढ़ गई है।

Dabur
DABUR INDIA LIMITED
Regd. Office: 8/3 Asaf Ali Road, New Delhi - 110002
CIN: L24230DL1975PLC007908
Tel No.: 011 23253488, Fax No.: 011 23222051
Website: www.dabur.com | E-mail: corpcomm@dabur.com

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2025

The consolidated and standalone unaudited financial results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2025, approved by the Board of Directors in their meeting held on January 29, 2026, along with the Auditors' Limited Review Reports thereon (expressing an unmodified opinion), as filed with the Stock Exchanges under Regulations 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com & www.nseindia.com), the Company's webpage: (www.dabur.com/investor/financial-information/results) and can also be accessed by scanning the following Quick Response Code.

For and on behalf of the Board of Directors

Place: New Delhi
Date: January 29, 2026

Mohit Burman
Chairman
DIN: 00021963

प्रथम पृष्ठ का शेष...

यूजीसी के नए

अलग परिभाषा की आवश्यकता पर सवाल उठाया गया, जबकि भेदभाव की सामान्य परिभाषा पहले से मौजूद है। इसमें रैगिंग पर प्रावधानों की पूरी तरह अनुपस्थिति की कड़ी आलोचना की गई। न्यायालय ने चिंता प्रकट करते कहा कि ये नियम एकता को बढ़ावा देने के बजाय छात्रों को जाति के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। पीठ ने सुझाव दिया कि नियमों पर प्रतिष्ठित न्यायविदों की एक समिति द्वारा फिर से विचार किया जाना चाहिए जो सामाजिक वास्तविकताओं और मूल्यों को समझते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को संबोधित करते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायालय तुरंत अंतिम आदेश पारित करने के पक्ष में नहीं है और इसके बजाय विशेषज्ञ से इस पर पुनर्विचार चाहता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि एक ऐसी समिति होनी चाहिए, जिसमें प्रतिष्ठित न्यायविद हों ऐसे लोग जो सामाजिक मूल्यों और समाज जिन समस्याओं का सामना कर रहा है, उन्हें समझते हों।

उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि समाज कैसे आगे बढ़ेगा और लोग कैसे व्यवहार करेंगे। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश हुए एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने नियम 3 (1) (सी) की ओर ध्यान दिलाया, जो जाति-आधारित भेदभाव को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के खिलाफ भेदभाव के रूप में परिभाषित करता है। उन्होंने तर्क दिया कि सामान्य श्रेणी के छात्रों के खिलाफ भेदभाव को मान्यता नहीं दी गई है। चूंकि नियम 3(1)(ई) पहले से ही भेदभाव को व्यापक रूप से परिभाषित करता है, इसलिए जाति-आधारित भेदभाव के लिए एक अलग परिभाषा अनावश्यक है। यह प्रावधान मानता है कि केवल कुछ समूहों को ही भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। श्री जैन ने अपने तर्क में कहा कि जब नियम 3(1)(ई) पहले से मौजूद है, तो 3(1)(सी) की क्या जरूरत है? एक अन्य वकील ने एक ऐसे परिदृश्य की ओर इशारा किया जहां एक सामान्य श्रेणी के नए छात्र को आरक्षित श्रेणी के एक सीनियर द्वारा रैगिंग का शिकार बनाया जाता है। ऐसे में वर्तमान नियम ऐसे मामले के लिए कोई उपाय प्रदान नहीं करते हैं और यहां तक कि पीड़ित को जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि ऐसे नियम जातिविहीन समाज की दिशा में हुई प्रगति को खत्म कर सकते हैं। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि जातिविहीन समाज की ओर बढ़ने में हमने जो कुछ भी हासिल किया है, क्या अब हम प्रतिगामी हो रहे हैं? न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने इस बात पर जोर दिया कि विविधता में एकता शिक्षण संस्थानों में झलकनी चाहिए। न्यायमूर्ति बागची ने पूछा कि अगर 2012 के रेगुलेशन में व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण था, तो अब इसे प्रतिगामी क्यों होना चाहिए? विदित हो कि 2026 के ये नियम रोहित वेमुला और पायल तडवी की मां राधिका वेमुला और अबेदा सलीम तडवी द्वारा 2019 में दायर एक जनहित याचिका के बाद बनाए गए थे, जिनकी कथित तौर पर अपने विश्वविद्यालयों में जाति-आधारित भेदभाव का सामना करने के बाद आत्महत्या से मौत हो गई थी। उच्चतम न्यायालय ने पहले केंद्र सरकार से कैंपस में भेदभाव से निपटने के लिए एक मजबूत और प्रभावी सिस्टम बनाने के लिए कहा था और संबंधित पक्षों को सुझाव देने को कहा था। यूजीसी ने मिले सुझावों पर विचार करने के बाद, जनवरी 2026 में नए नियम नोटिफाई किए, जिन्होंने 2012 के रेगुलेशन की जगह ली। इसके बाद विवाद शुरू हो गया। कुछ समूहों ने इसे वापस लेने की मांग की तो दूसरे पक्ष ने इसमें किसी भी तरह की ढील का विरोध किया है। उच्चतम न्यायालय में दायर कई याचिकाओं में तर्क दिया गया है कि ये नियम सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए नुकसानदायक हैं। केंद्र सरकार और यूजीसी के जवाब दाखिल करने के बाद अब इस मुद्दे पर फिर से विचार किया जाएगा।

यूजीसी नियमों पर रोक के बाद वाराणसी में जश्न

वाराणसी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की नई नियमावली पर उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के बाद वाराणसी में विरोध प्रदर्शन जश्न में बदल गया।

जिला मुख्यालय पर बीते कई दिनों से चल रहा धरना गुरुवार को कोर्ट के आदेश की खबर मिलते ही उत्सव में तब्दील हो गया। प्रदर्शनकारी एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर बधाइयां देते नजर आए। जश्न के दौरान लोगों ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। पूरे क्षेत्र में जयकारों और नारों के साथ खुशी का माहौल देखा गया।

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह फैसला सामाजिक समरसता और समानता के पक्ष में है, जिससे समाज में फैल रही असमानता को रोका जा सका है। अधिवक्ता सारिका दुबे ने कहा कि पिछले तीन दिनों से जिला मुख्यालय पर लगातार यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ विरोध हो रहा था। उन्होंने इसे सनातन धर्म और सामाजिक न्याय की जीत बताते हुए कहा कि यह नियमावली आपसी भाईचारे और सौहार्द को प्रभावित करने वाली थी। केसरिया भारत संस्था के गौरीश सिंह और अधिवक्ता संतोष सिंह ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया।

सुधारों से तीन साल में आठ प्रतिशत तक पहुंच सकती है विकास दर: डॉ. नागेश्वरन

नई दिल्ली, वार्ता

मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने गुरुवार को कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वार्षिक वृद्धि दर की संभावनाओं को नीतियों और प्रक्रियाओं में सुधारों के माध्यम से दो-तीन वर्ष के अंदर ही साढ़े सात-आठ प्रतिशत के स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर की संभावनाएं 6.5 प्रतिशत वार्षिक से बढ़कर इस समय सात प्रतिशत हो गई है।

इसके आधार पर ही वित्त वर्ष 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण में आगामी वित्त वर्ष 2026-27 में आर्थिक वृद्धि के 6.8 से 7.2 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। यह औसतन सात प्रतिशत के स्तर का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में आज रखी गई आर्थिक सर्वे रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष की जीडीपी वृद्धि सात प्रतिशत से ऊपर रहने का अनुमान है। डा. नागेश्वरन ने कहा कि भू-राजनीतिक परिस्थितियों और अन्य वाह्य कारणों से कोई बड़ी चुनौती न उत्पन्न हुई, तो चालू वित्त वर्ष की वृद्धि सात प्रतिशत के दायरे में रहेगी। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के इसी माह के शुरू में प्रस्तुत प्रथम अग्रिम अनुमानों में वित्त वर्ष 2025-26 में वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत के स्तर पर रखा गया है।

मुख्य आर्थिक सलाहकार ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता हुआ, तो सात प्रतिशत के स्तर की वृद्धि दर में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि भूमि और अन्य क्षेत्रों में सुधारों के माध्यम से देश की संभावित जीडीपी वृद्धि दर को तीन साल के अंदर 7.5 प्रतिशत से 8.0 प्रतिशत के स्तर पर ले जाया जा सकता है। वैश्विक चुनौतियों और अमेरिका में भारतीय माल के खिलाफ ऊंचे शुल्क के बावजूद आर्थिक वृद्धि में जो सुधार आया है वह एक के बाद एक कई बुनियादी सुधारों और नीतिगत उपायों के चलते आई है।


गिरिराज

आज

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विद्यार्थियों को मिली बड़ी राहत


पीएम नरेन्द्र मोदी

भारत को बनायें पारदर्शी, सेफ एआई इकोसिस्टम

पटना, शुक्रवार, ३० जनवरी, २०२६ सौर १७ माघ सं. २०८२ वि० | वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, आगरा, बरेली, पटना, रांची (धनबाद संस्करण) तथा जमशेदपुर से प्रकाशित | ☆☆ | नगर संस्करण १२ पृष्ठ मूल्य दो रुपये पचास पैसा

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोस में पेश किया आर्थिक सर्वे 2025-26

जीडीपी वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत से 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान, एआई पर रहेगा फोकस

(आज समाचार सेवा)

नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण (इकोनामिक सर्वे) पेश किया। इसमें पिछले एक साल के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था का लेखा-जोखा पेश किया गया है। सर्वे में वित्त वर्ष २०२७ के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर ६.८ प्रतिशत से ७.२ प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।

सर्वे में बताया गया है कि जीएसटी की दरें घटाने से मांग को बल मिला। साथ ही यह अनुमान भी व्यक्त किया गया है कि अगले वित्त वर्ष में घरेलू मांग और निवेश में मजबूती रहने वाली है। आर्थिक सर्वे में कहा कि वित्त वर्ष २०२५-२६ बाहरी मोर्चे पर अर्थव्यवस्था के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा। वैश्विक व्यापार में बढ़ती अनिश्चितता और भारी टैरिफ ने हमारे निर्यातकों और विनिर्माताओं पर दबाव डाला। लेकिन, भारत ने इस संकट को एक अवसर में बदल दिया।

सर्वे के मुताबिक, महंगाई दर का लक्ष्य अनुमान रेंज के अंदर है। जीएसटी की दरें घटाने से डिमांड को सपोर्ट मिला और अगले वित्त वर्ष में घरेलू मांग, निवेश में मजबूती रहने का अनुमान लेकिन ग्लोबल ग्रोथ और स्थिरता को लेकर अनिश्चितता कायम है।आर्थिक

(शेष पृष्ठ ९ पर)

प्रमुख बातें

(आज समाचार सेवा)

नयी दिल्ली। भारत की प्रमुख वृद्धि का अनुमान लगभग ७ प्रतिशत, जबकि वित्त वर्ष २०२७ के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि ६.८ प्रतिशत से ७.२ प्रतिशत का अनुमान। वित्त वर्ष २०२५ में केन्द्र की राजस्व प्राप्ति जीडीपी के ११.६ प्रतिशत तक बढ़ी।वित्त वर्ष २०२५ में सेवा निर्यात अब तक का सर्वाधिक ३८७.६ बिलियन अमरीकी डालर हुआ, १३.६ प्रतिशत की वृद्धि।वित्त वर्ष २०२५ के दौरान भारत विश्व में

(शेष पृष्ठ ९ पर)

प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा बिहार : मुख्यमंत्री

समृद्धि यात्रा के दौरान सीएम ने जिले को दी 800 करोड़ की योजनाओं की सौगात

समस्तीपुर (आससे)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरे चरण की समृद्धि यात्रा के तहत आज समस्तीपुर पहुंच चुके हैं। उन्होंने समस्तीपुरवासियों को 827 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात दी। इसमें 470 करोड़ रुपये की लागत से 71 योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं 273.02 करोड़ की लागत से 74 योजनाओं का शुभारंभ और 83.29 करोड़ रुपये की लागत से 43

(शेष पृष्ठ ९ पर)

पंचतत्व में विलीन हुए अजित पवार

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का आज उनके गृह नगर बारामती में अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। बुधवार को विमान हादसे में उनकी मौत हो गई थी। राज्य सरकार ने अजित पवार के निधन पर तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया है।

विद्या प्रतिष्ठान मैदान में अजित पवार के अंतिम संस्कार के लिए व्यापक तैयारियां की गई थीं। मैदान के अंदर एक चबूतरा बनाया गया था, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। मैदान में बैरेकेडिंग की गई थी, ताकि लोग सही तरीके से दर्शन कर

(शेष पृष्ठ ९ पर)

जांच के लिए कमेटी गठित

बारामती (एजेंसी)। सिविल एविएशन मंत्रालय ने 28 जनवरी को महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम का गठन किया है। मंत्रालय के बयान के अनुसार, एएआईबी की टीम ने मुंबई कार्यालय के डीजीसीए की तीन सदस्यीय टीम के साथ हादसे वाले दिन ही दुर्घटना स्थल पर जाकर जांच शुरू कर दी। इस दौरान एएआईबी के महानिदेशक ने भी जहाज के घटनास्थल का दौरा किया। बता दें कि

(शेष पृष्ठ ९ पर)

चांदी 60000 और सोना 12000 रुपये चढ़ा

नयी दिल्ली (एजेंसी)। सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी जारी है. सबसे ज्यादा चांदी ने निवेशकों को चौंकाया है, महज दो दिन में चांदी 60,000 रुपये से ज्यादा महंगी हुई है. वहीं इस दौरान सोना 12000 रुपये से ज्यादा चढ़ चुका है। इतनी बड़ी उछाल तब आई है, जब अमेरिकी सेना ईरान की ओर बढ़ रही है और डोनाल्ड ट्रंप बार-बार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। दूसरी ओर, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपने रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया है। इन दोनों घटनाओं के अलावा,

(शेष पृष्ठ ९ पर)

धान -चावल कारोबारी के कई ठिकानों पर आयकर के छापे

गयाजी/मानपुर। धान और चावल कारोबारसे जुड़े बड़े नाम राज. `श कुमार गुप्ता के ठिकानों पर गुरुवार सुबह आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी। कार्रवाई गया व मानपुर स्थित उनके आवासपर की गई। आयकर विभागके साथ दल बल सीआईएसएफ मौजूद रही। सुबहसे शुरू हुई यह कार्रवाई देर शाम तक जारी रही। सीआइएसएफ के जवान घरके आसपास

(शेष पृष्ठ ९ पर)

कोलंबिया-वेनेजुएला बॉर्डर पर प्लेन क्रैश, 15 की मौत

कोलंबिया (एजेंसी)। कोलंबिया और वेनेजुएला की सीमा से सटे नॉर्टे डे सैंटेंडर प्रान्त में बुधवार को सतना एयरलाइन का एक व्यावसायिक विमान क्रैश हो गया, जिसमें सवार सभी 15 लोगों की मौत हो गई. दुर्घटना टेकऑफ के कुछ ही मिनटों बाद हुई, जब विमान कुकुटा से उड़ान भरने के बाद ओकाना आ रहा था.सरकारी और एयरलाइन अधिकारियों ने पुष्टि की है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान जिसमें 13 यात्री और 2 मेंबर्स सवार थे. मरने

(शेष पृष्ठ ९ पर)

लालू परिवार को व्यक्तिगत पेशी से छूट

लैंड फॉर जॉब केस, 9 मार्च से रोज़ाना सुनवायी के आदेश

नयी दिल्ली (एजेंसी)। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई मामले की सुनवाई के लिए सूची जारी की और अदालत ने निर्देश दिया कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य 9 मार्च से डेली बेसिस के आधार पर दर्ज किए जाएं. यह मामला रेलवे ग्रुप डी की नौकरी के बदले जमीन देने के कथित अपराध से जुड़ा है।

इस बीच, कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव को औपचारिक आरोप तय करने के लिए 1 से 25 फरवरी के बीच व्यक्तिगत रूप से पेश होने की अनुमति दी है। अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने से एक दिन पहले सीबीआई को सूचना देने का निर्देश दिया। उन्होंने गुरुवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट मांगी थी हालांकि, सांसद मीसा भारती और हेमा यादव व्यक्तिगत रूप से पेश हुई और अपने खिलाफ लगाए गए

(शेष पृष्ठ ९ पर)

कैमूर में घूस लेते सहायक निदेशक और अभियंत्रण विशेषज्ञ गिरफ्तार

कैमूर (आससे)। जिले के भभुआ से एक और बड़ा मामला सामने आया है, जहां भूमि संरक्षण सह परियोजना क्रियान्वयन इकाई में तैनात सहायक निदेशक रविशंकर राम और अभियंत्रण विशेषज्ञ अंजनी कुमार को 20 हजार रुपये घूस लेते हुए निगरानी की टीम ने रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया है।

यह कार्रवाई अधौरा थाना क्षेत्र निवासी राजेश्वर सिंह के पुत्र अरविंद कुमार और रघुनाथ सिंह के पुत्र उमेश कुमार की लिखित शिकायत के आधार पर की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किए गए कार्य के बकाया भुगतान के बदले रिश्वत की मांग की जा रही है। निगरानी जांच में सामने आया कि

(शेष पृष्ठ ९ पर)

बांका में यूपी के लिपिक गगन के कई ठिकानों पर छापे

भागलपुर(आससे)। जिले में उत्तर प्रदेश विजिलेंस टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। यह कार्रवाई यूपी के मऊ जिले

में खाद्य आपूर्ति विभाग में लिपिक पद पर तैनात गगन सिंह से जुड़े ठिकानों पर की गई है। यूपी विजिलेंस टीम

(शेष पृष्ठ ९ पर)

पूर्व मध्य रेल

ई-ऑक्शन सूचना सं.- कॉम-डब्लूआर-पीएनसी-01

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य), पूर्व मध्य रेल, दानापुर मंडल द्वारा निम्न कार्य हेतु ई-ऑक्शन आमंत्रित किया जाता है- कार्य का नाम: ...

www.ireps.gov.in

मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य) पूर्व मध्य रेल, दानापुर

पीआर/1706/डीएनआर/एम/25-26/32

पूर्व मध्य रेल

ई-निविदा सूचना

मंडल रेल प्रबंधक, पूर्व मध्य रेल, दानापुर

पीआर/1706/डीएनआर/ अभि./टी/25-26/40

पूर्व मध्य रेल

ई-ऑक्शन सूचना सं.- कॉम-सीबीडी-डीएनआर-01

www.ireps.gov.in

मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य) पूर्व मध्य रेल, दानापुर

पीआर/1707/डीएनआर/एम/25-26/32

पूर्व मध्य रेल

ई-निविदा सूचना

उप मुख्य विद्युत अभि./निर्माण/उत्तर/ पूमरे/महेंद्रूघाट, पटना

पीआर/1705/एसपीई/नि./टी/25-26/45

पूर्व मध्य रेल

ई-ऑक्शन सूचना सं.- कॉम-एसडी-डीएनआर-01

www.ireps.gov.in

मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य) पूर्व मध्य रेल, दानापुर

पीआर/1708/डीएनआर/एम/25-26/32

सेवा गृह ऋण लिमिटेड

द्वितीय तल, श्री सावन नॉलेज पार्क, टी-507, टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र, एमआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र, तुर्भे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र - 400705, भारत

सार्वजनिक सूचना

स्थान: महाराष्ट्र
दिनांक: 30.01.2026

पावरग्रिड
POWERGRID

सूचना

(1) TNPDCL, (2) BSEB, ... (7) APCPDCL, (8) TSSPDCL, (9) TSNPDCL, ... MESCOM, (14) CESC, (15) MPPMCL, (16) MSEDCL ...

पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

DABUR INDIA LIMITED

Regd. Office: 8/3, Asaf Ali Road, New Delhi - 110 002
CIN - L24230DL1975PLC007908
Tel. No. 011-23253488, Fax No. 011-23222051
Website: www.dabur.com | E-mail: corpcomm@dabur.com

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2025

The consolidated and standalone unaudited financial results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2025, approved by the Board of Directors in their meeting held on January 29, 2026, along with the Auditors' Limited Review Reports thereon (expressing an unmodified opinion), as filed with the Stock Exchanges under Regulations 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com & www.nseindia.com), the Company's webpage (www.dabur.com/investor/financial-information/results) and can also be accessed by scanning the following Quick Response Code.

For and on behalf of the Board of Directors

Place: New Delhi
Date: January 29, 2026

Mohit Burman
Chairman
DIN: 00021963